



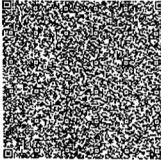
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No. : IN-DL55238427124371L
Certificate Issued Date : 30-Aug-2013 04:21 PM
Account Reference : IMPACC (IV) dl715903/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference : SUBIN-DL71590309057968187365L
Purchased by : RAHEJA DEVELOPERS LTD
Description of Document : Article 5 General Agreement
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : RAHEJA DEVELOPERS LTD
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : RAHEJA DEVELOPERS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
(Fifty only)



COPY COPY COPY

Please write or type below this line.

करार
मह. निपक्षीय करार आज दिनांक २०१३ को आनन्द पर्वत, दिल्ली ट्रांजिट आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण, रहेजा डवलपर्स लि. और इसमें नीचे नामित लाभार्थियों के बीच किया जाता है क्योंकि कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो का स्व-स्थाने विकास कार्य शुरू किया जा रहा है। लाभार्थियों को अपनी तरफ से बिजली और पानी प्रभारों को वहन करना होगा और वेल्फेयर एसोसिएशन लाभार्थियों द्वारा बिजली प्रभारों का भुगतान ग्री-पेड बिजली मीटरों के माध्यम से किया जाएगा व पानी प्रभारों, यदि मीटर न लगा हुआ हो, का भुगतान आनुपातिक आधार पर दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली विकास प्राधिकरण क्षेत्र का रखरखाव भी करना होगा।

Assistant Director

For Raheja Developers Ltd.

Delhi Development Authority

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and its details available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

7

- 2 -

प्राधिकरण को करना होगा।

लाभार्थी वचन देता है कि वह आवंटित स्थान का अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति देगा।

- यह आवास केवल लाभार्थी व उनके परिवार के लिए ही है और यह किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किराये पर/पट्टे पर नहीं दिया जाएगा/ बेच नहीं जाएगा। यदि विकासकर्ता या दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसा कोई उल्लंघन लाया जाता है, तो संबंधित परिवार को दोबारा बनाई गई कठपुतली कॉलोनी में आवंटन नहीं दिया जाएगा।
- यह लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवास का रखरखाव इस तरीके से करे कि यह विकासकर्ता को उसी हालत में लौटाया जा सके।
- ट्रांजिट कैम्प में स्थांतरित होने से पहले, यह लाभार्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे बिजली/पानी की अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।
- लाभार्थियों को पट्टा राशि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण को १ रुपये वार्षिक का नाममात्र का भुगतान करना होगा।
- लाभार्थियों को पहले कठपुतली कॉलोनी से ट्रांजिट कैम्प में तथा फिर पुनर्विकसित कठपुतली कॉलोनी में स्थांतरित करने के लिए ट्रांसपोर्ट/यातायात की जिम्मेदारी मैसर्स रहेजा डवलपर्स लिमिटेड की होगी। विद्यमान स्लम निवासियों को इस पुनः स्थान निर्धारण के लिए किया गया करार विकासकर्ता तथा दि.वि.प्रा. के बीच पहले से ही हस्ताक्षरित मूल करार द्वारा शासित होगा।
- कठपुतली कॉलोनी में वापिस स्थांतरित होते समय लाभार्थियों को निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा तथा दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- आपसी का कब्जा हमें के प्रान्त, लगभग है वहाँ से लाभार्थी फतेहों का निमजि हो जायगा।

मकान मालिक

(नाम)

हस्ताक्षर

मकान मालिक :

(नाम)

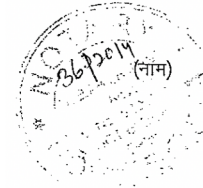
हस्ताक्षर

पता : KATHPUTLI COL.
PATEL NAGAR, S.O CENTRAL DELHI
DELHI - 110008

कृते रहेजा डवलपर्स लिमिटेड
For Raheja Developers Ltd.

कृते दि.वि.प्रा.
Assistant Director

Delhi Development Authority



ATTESTED

NEELAM SHARAN
NOTARY PUBLIC DELHI

01 MAR 2014